भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3894

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

कौशल भारत मिशन के अंतर्गत गोरखपुर जिलों में प्रशिक्षित युवा

3894. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौशल भारत मिशन के तहत गोरखपुर जिले में प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या क्या है;

(ख) उक्त जिले में उन उद्योगों और व्यापार का ब्यौरा क्या है जिनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु गोरखपुर में स्थानीय उद्योगों के साथ सरकार ने सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कौन-सी चुनौतियां आ रही है; और

(ङ) गोरखपुर में रोजगार और उद्यमिता संबंधी उक्त मिशन का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), उत्तर प्रदेश राज्य के गौरखपुर जिले सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

उत्तर प्रदेश और गोरखपुर जिले में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/जिला	पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.02.2024)	पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.02.2024)	पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.02.2024)	पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.02.2024)
उत्तर प्रदेश	24,13,050	5,42,921	2,73,816	18,47,936
गोरखपुर	43,829	11,640	5,259	71,920

गोरखपुर में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली शीर्ष 05 जॉब रोलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पीएमकेवीवाई	जेएसएस	एनएपीएस	सीटीएस (आईटीआई)
1	सिलाई मशीन ऑपरेटर	ब्यूटी केयर असिस्टेंट,	इलेक्ट्रीशियन	इलेक्ट्रीशियन
2	फील्ड तकनीशियन कंप्यूटिंग और पेरिफेरल्स	असिस्टेंट ड्रेस मेकर	फिटर	फिटर
3	स्व-नियोजित दर्जी	असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर	रिटेल ट्रेनी एसोसिएट	कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक
4	पारंपरिक हाथ कढ़ाई	सहायक हाथ की रोटी (फुलकारी/चिकनकारी/कश्मीरी/जरी जरदोजी/कांथा)	रिटेल ट्रेनी एसोसिएट -3.0	मैकेनिक डीजल
5	क्षेत्र सर्वेक्षण प्रगणक	सहायक-जूट शिल्प उत्पाद निर्माता	वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)	वेल्डर

(ग): एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत मंच है जो विभिन्न हितधारकों को लक्षित करने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी प्रणालियों को एकीकृत करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसरों की सुविधा के लिए रोज़गार मेले और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में छह (06) रोज़गार मेले आयोजित किए गए हैं।

(घ): कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन या कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि कौशल पाठ्यक्रमों का वितरण उद्योगों की मौजूदा या उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित हैं, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो कौशल पाठ्यक्रमों को उद्योग-मांग के साथ सहयोग और संरेखित करते हैं।

(ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 8151 अर्हताएं अनुमोदित की हैं, जिनमें से 3089 अर्हताएं वैध और सक्रिय हैं, और 5062 अर्हताएं अप्रासंगिक होने के कारण संग्रहीत हैं।

(iii) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में बारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों को संरेखित किया जा सके।

(v) पीएमकेवीवाई के तहत, आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में लगभग 200 आधुनिक/भावी कौशल वाली जॉब रोलों को विशेष रूप से उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।

(vi) डीजीटी ने कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 31 आधुनिक/भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस हो।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है।

(ङ): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से किया गया है। मंत्रालय की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2020 में नौकरियों और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इसके अलावा, 52 प्रतिशत उम्मीदवार जिन्हें पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखा गया था और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत उन्मुख किया गया था, उन्हें उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष के मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): वर्ष 2020 में किए गए जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों के लिए घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्व-रोजगार कर रहे हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सा, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों को 85.7% संगठित करने को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशल विकास का लक्ष्य स्व-रोजगार पर है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): वर्ष 2021 में आयोजित एनएपीएस के तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोज्यता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई): एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार (जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार कर रहे हैं) मिला।

*****